ज्ञापांक–363/Tech.

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–25 वीं मार्च 2018

सेवा में

आशियाना हाउसिंग लि0,
123, प्रथम तल,
आशियाना ट्रेड सेंटर,
टाटा–काण्ड्रा मेन रोड,
आदित्यपुर, सरायकेला खरसावाँ।

विषयः– मौजा–पारडीह, प्लाट नं0–122, 123 & 159 खाता संख्या–449, वार्ड नं0–08 थाना–मानगो, पारडीह में प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर के ज्ञापांक–227 दिनांक–21.03.18 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु राष्ट्रीय भवन संहिता-2016 भाग–IV के टेबुल–7: C-3 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 75,000 Liters (पचहत्तर हजार) लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. अग्निशमन कार्य हेतु सभी ब्लॉकों में पाँच–पाँच हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
3. दोनों सभी ब्लाँकों में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ एक–एक वेट राईजर का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होजरील होज, डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
4. प्रस्तावित सभी ब्लाँकों के सामने वाले भाग में कम से कम दो–दो अदद यार्ड हाईड्रैण्ट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं दो–दो अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. बेसमेंट को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय।
6. प्रस्तावित ई0 ब्लॉक के सभी तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर एवं एड्रेसेबल स्मोक डिटेक्टर से सुरक्षित किया जाय।
7. अग्निशमन कार्य हेतु निर्मित किये जानेवाले पम्प हाउस में 2,280 Lpm क्षमता का एक इलेक्ट्रिक पम्प तथा समान क्षमता एक डीजल पम्प स्टैण्ड बाय में रखा जाय।
8. 180 Lpm क्षमता का जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
9. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
10. प्रस्तावित ई0 ब्लॉक के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले (Outward Openings) रहेंगे।
11. प्रस्तावित सभी ब्लॉकों की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से कराया जाय।
12. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले दो–दो अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।

13. सभी ब्लॉकों के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में सतही तल पर 50-50 ली0 क्षमता वाले दो-दो अदद वाटर मिस्ट अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
14. NBC Part-IV में वर्णित प्रावधानों के अनुसार बेसमेंट का पार्टीशन किया जाय।
15. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
16. प्रस्तावित भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
17. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
18. प्रस्तावित सभी ब्लॉकों में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
19. भवन में तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
20. प्रस्तावित सभी ब्लॉकों के सामनेवाले भाग में 12 मीटर चौड़ा ठोस समतल एवं खुला स्थान रखा जाय, ताकि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में Hydraulic Platform से अग्निशमन अथवा बचाव कार्य करने में किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो।
21. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
22. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
23. प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
24. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 & 6.4 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

RAM KRISHNA THAKUR

Digitally signed by RAM KRISHNA THAKUR
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=835217, st=JHARKHAND, serialNumber=0d4b6c6bb1f88491027a4c64e9605c5e93ebbae15a4a6839d2aa85f8e9395d45, cn=RAM KRISHNA THAKUR
Date: 2018.03.25 17:15:24 +05'30'

(राम कृष्ण ठाकुर)
प्रभारी अपर राज्य अग्निश्मान पदाधिकारी
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–375/Tech.

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक– वीं मार्च 2018

सेवा में,

आशियाना हाउसिंग लि0,
123, प्रथम तल,
आशियाना ट्रेड सेंटर,
टाटा–काण्ड्रा मेन रोड,
आदित्यपुर, सरायकेला खरसावाँ।

प्रसंग :– इस कार्यालय का ज्ञापांक–363/Tech दिनांक–25.03.2018

विषयः– **मौजा–पारडीह, प्लाट नं0–122, 123 & 159, खाता संख्या–449, वार्ड नं0–08, थाना–मानगो, पारडीह में प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह निर्गत किया गया था। प्रासंगिक पत्र में भूलवश ब्लॉक B के बदले ब्लॉक E अंकित हो गया है। इसे ब्लॉक B समझा जाय। साथ हीं प्रासंगिक पत्र के विन्दु 06 एवं 10 में भूलवश अंकित ब्लॉक E के सभी तलों के स्थान पर क्लब हाउस के सतही एवं प्रथम तल समझा जाय।

RAM KRISHNA THAKUR

Digitally signed by RAM KRISHNA THAKUR
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=835217, st=JHARKHAND, serialNumber=0d4b6c6bb1f88491027a4c64e9605c5e93ebbae15a4a6839d2aa85f8e9395d45, cn=RAM KRISHNA THAKUR
Date: 2018.03.26 14:19:58 +05'30'

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।